सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 388/15 **निर्णय दिनांकः–**

1.कालू खॉ पुत्र निहाल खॉ जाति मुसलमान निवासी शेरूवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थिति :–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्

2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1.अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन के आदेश दिनांक शून्य जिसके द्वारा अपीलांट का आराजी काश्त आवंटन से पुख्ता आवंटन निरस्त किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2.विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3.विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली जाकर अपीलांट

की पात्रता के आधार पर ग्राम शेरूवाला में खसरा नम्बर 1 मीन में 25 बीघा भूमि आरजी काश्त आवंटन के तहत आवंटन की गई तथा अपीलांट के नाम विधिवत पट्टा भी जारी कर दिया गया। पट्टे के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट को उसकी आवंटनशुदा भूमि पर कब्जा दिया गया। तब से आज दिनांक तक अपीलांट आराजी मुतनाजा पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

अपीलांट के आराजी जैर आवटंन का आज दिनांक तक यथावत रहा है। इसके पश्चात् राज्य सरकार के आदेशानुसार टी.सी. आवंटियों को पुख्ता आवंटन करने के आदेश प्रदान किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट के टी. सी. आवंटन को पुख्ता किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र नियमित कब्जा न मानकर खारिज कर दिया गया जो विधि सम्मत नहीं है। जबकि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि आराजी जैर पर अपीलांट की मौके पर झोपड़ी बनी हुई है तथा मौके पर अपीलांट का कब्जा बताया गया है। उक्त भूमि चकों में आने पर चक 7 एसएचएम के मुरब्बा नम्बर 11/18 पैमुद हुई।

अपीलांट ने उक्त आराजी के पुख्ता आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। तत्पश्चात् बिना किसी आधार के अपीलांट का पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। जो कानून व विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश

तहसील हल्का की रिपोर्ट के विपरीत होने से निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

उन्होंने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे

4.विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्ज काश्त नहीं है। अपीलांट टी. सी. में आवंटित भूमि पर काबिज नहीं है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष ऐसा कोई दस्तावोजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आराजी जैर पर अपीलांट का कब्जा काश्त साबित होता हो। अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गइ है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

5.विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6.(अ) जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा टीसी आवंटन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर अपीलांट को तहसील कोलायत के ग्राम शेरूवाला के खसरा नम्बर 1 मीन में 25 बीघा भूमि काश्त हेतु टी.सी. आवंटन की गई। जो चकबन्दी में आने पर चक 7 एस.एच.एम के मुरब्बा नम्बर 111/18 में पैमूद हुई।

(ब)अपीलांट द्वारा आराजी जैर के टी.सी. से पुख्ता आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर तहसीलदार हल्का से आवेदित भूमि की रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार अपीलांट का टी.सी. में आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त होना पाया गया है, तथा अपीलांट भूमि पर काबिज होना पाया गया है।

(स)जबकि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी का आवंटन से अब तक नियमित कब्जा नहीं रहा है और ना ही प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे प्रार्थी का आवंटन से अब तक कब्जा काश्त प्रमाणित होता हो। अतः चूंकि आवंटन नियमों के अन्तर्गत प्रार्थी का अस्थाई आवंटित भूमि पर नियमित कब्जा नहीं होने के कारण बारानी से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

(द) इस संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08—11—2007 कमांक प—5(ए) 24/उप. नि/4/4604 उल्लेखनीय है कि इगानप क्षेत्र में जिन अस्थाई कृषि पट्टाधारकों के अस्थाई आवंटन इन

कारणों से निरस्त हुए हैः—(1)जिनके अस्थाई धारण की भूमि त्रूटिवश अन्य को आवंटन हो गई हो, (2)या किसी अन्य कारणवश राजकीय भूमि घोषित कर दी गई अथवा, (3) उस स्थान पर वह भूमि आवंटन योग्य व उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे उपरोक्त श्रेणी के अस्थाई कृषि पट्टाधारकों से (ए) आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाकर या(बी) यदि ऐसे आवेदन पूर्व में आंमत्रित किये जा चुके है, तो सामान्य आवंटन में उपलब्ध शुद्व राजकीय भूमि में से वर्तमान में उस आवेदक की भूमि पात्रता आदि की जॉच की जाकर राजस्थान उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन विक्रय नियम 1978 के नियम 7 में वर्णित प्राथमिकताओं के अनुसार भूमि आवंटन की कार्यवाही की जाना अपेक्षित है।

(य) राज्य सरकार के निर्देश स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्देशों की पालना करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया

एवं प्रार्थी के आवेदन को लम्बे समय से न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने व उसके हक में अपील न्यायालय से निर्णय होने एवं राज्य सरकार के उक्त परिपत्र जो कि ऐसे काश्तकारों के हितों की रक्षा व उनके मामलों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की दृष्टि से पारित किया है— का कोई परिशीलन नहीं किया और ना ही कोई हवाला दिया व सरसरी तौर पर उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया।

(र) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी का आवंटन से अब तक नियमित कब्जा नहीं रहा है और ना ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया जिससे उसका प्रश्नगत् भूमि पर नियमित कब्जा प्रमाणित होता हो। जबकि अदालत मातहत की स्वयं की पत्रावली में प्रस्तुत पटवारी हल्का की रिपोर्ट में यह तथ्य स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि **''प्रार्थी को ग्राम शेरूवाला में दिनांक 27—06—1978 को खसरा नम्बर 1 मिन में 25 बीघा बारानी भूमि टी.सी. आवंटन हुई थी। जिससे प्रार्थी उक्त टी.सी. आवंटित भूमि पर झोपड़ी बनाकर कब्जा कर रखा है। वर्तमान में प्रार्थी को टी.सी. से आंवटित भूमि चकों में आने पर चक 7 एस.एच.एम. के मुरब्बा नम्बर 11/18 पैमुद हुई है। वर्तमान में यह रकबा रिकार्ड के अनुसार आराजीराज दर्ज है एवं मौके पर प्रार्थी झोपड़ी बनाकर कब्जा कर रखा है।''**

(ल) अदालत मातहत का अपीलाधीन आदेश स्पष्ट रूप से पटवारी हल्का की रिपोर्ट के विपरीत होना साबित है। अदालत मातहत को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया जाना चाहिए था, जिसमें पटवारी हल्का द्वारा स्पष्ट रूप से आराजी जैर पर अपीलांट का कब्जा काश्त होना बताया गया है। अदालत मातहत के समक्ष उक्त तथ्य सामने होते हुए भी अपीलाधीन निर्णय में यह अंकित किया जाना कि प्रार्थी का आराजी जैर पर कब्जा काश्त नहीं है, अतः प्रार्थी का नियमित कब्जा नहीं होने से बारानी से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है जो किसी भी प्रकार से युक्तियुक्त व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया, अपील मीमो एवं रिपोर्ट पटवारी का मनन किया, राज्य सरकार के परिपत्र की उपराक्त विवेचनानुसार परिशीलन करने के उपरान्त हम यह उपयुर्क्त पाते है कि अपीलांट आराजी जैर तहसील कोलायत के ग्राम शेरूवाला में खसरा नम्बर 1 मिन में 25 बीघा भूमि जो चकबन्दी में आने पर चक 7 एस.एच.एम. के मुरब्बा नम्बर 11/18 पैमूद हुई के पुख्ता आवंटन का पात्र घोषित किया जाता है।

8.अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक शून्य निरस्त किया जाता है।

9.निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर